बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या पी०आर०– 187/2021

समिति में वित्त पदाधिकारी के पद हेतु सेवारत (Working)/सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के लिए वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-interview) की सूचना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में वित्त पदाधिकारी के पद हेतु अनुभवी सेवारत/सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों की संविदा आधारित नियोजन/प्रतिनियुक्ति पर सेवा लेने हेतु दिनांक 01.11.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से समिति मुख्यालय, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना–800017 में Walk-in-Interview आयोजित किया जाता है :–

क्र० स०	पद का नाम	कुल रिक्ति एवं आरक्षण कोटि	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	मासिक मानदेय
1	वित्त पदाधिकारी	01-GEN	बिहार वित्त सेवा/अन्य राज्य के वित्त सेवा के सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत पदाधिकारी। **अथवा** केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के किसी लोक उपक्रम/कंपनी से सेवानिवृत्त अथवा कार्यरत पदाधिकारी, जिन्हें लेखा/वित्त के प्रक्षेत्र में कार्यानुभव हो।	सेवारत (Working) पदाधिकारी के मामले में उनके अपने पैतृक विभाग में प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान किया जायेगा। सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के मामले में मानदेय के रूप में उन्हें अंतिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटा कर शेष राशि देय होगी।

2. उपर्युक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मुख्यालय, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना–800017 में दिनांक 01.11.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वॉक–इन–इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) में अपना बायो–डाटा/आवेदन पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे, जहाँ उनका इन्टरव्यू प्रत्यक्ष/वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से किया जायेगा।

3. **सेवारत (Working) पदाधिकारी के लिए**

(i) उपर्युक्त पद पर प्रतिनियुक्ति के मामले में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा बिहार सरकार में सेवारत (Working) राजपत्रित पदाधिकारी को उनके पैतृक विभाग में प्राप्त होने वाला वेतन हीं समिति द्वारा देय होगा। प्रतिनियुक्ति होने पर एक माह के अंदर अपने पैतृक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर समिति में समर्पित करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

(ii) सेवारत (Working) पदाधिकारी (जो प्रतिनियुक्त होंगे) के मामले में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।

(iii) उपर्युक्त पद पर सेवारत (Working) पदाधिकारी के मामले में दो वर्ष की अवधि या नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) प्रतिनियुक्ति की जायेगी। बाद में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

4. **सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के लिए**

(i) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवका का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(ii) उपर्युक्त पदों पर सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के मामले में नियमित नियुक्ति होने तक अथवा दो वर्ष की अवधि के लिए (जो पहले हो) संविदा पर नियोजन किया जायेगा। बाद में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(iii) सेवानिवृत्त (Retired) पदाधिकारी के मामले में प्रथम बार अनुबंध की अवधि ग्यारह माह की होगी। तत्पश्चात् संतोषप्रद सेवा होने पर एवं आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा।

(iv) सेवानिवृत (Retired) अभ्यर्थियों के लिए नियोजन हेतु अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी।

5. आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुभव, अर्हता एवं अन्य जानकारियों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विभागीय वेबसाइट http://biharboardonline.bihar.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

6. वित्त पदाधिकारी को सामान्यतः कार्यालय आने–जाने के लिए वाहन की सुविधा दी जायेगी, किन्तु यह अनिवार्य नहीं है।

7. नोट– Walk-in-interview में प्रवेश का समय पूर्वाह्न 11:00 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सचिव

ज्ञापांकः स्था०प्रे०–........................../पटना, दिनांक–....................................../2021

प्रतिलिपि : जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सचिव

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1	आवेदित पद का नाम	
2	अभ्यर्थी का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	आरक्षण कोटि	
5	पिता／पति का नाम	
6	मोबाइल नं० और ई–मेल आई0डी0	
7	वर्तमान पता	
8	शैक्षणिक योग्यता	
9	अनुभव	
10	सेवानिवृत के समय, जहाँ कार्यरत थे या वर्तमान में जहाँ कार्यरत है, उस विभाग का नाम, पदनाम एवं सेवा संवर्ग	

नोट– अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र को स्वहस्तलिखित रूप में दें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर